मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2000 (फाल्गुन 26, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश निर्यात निगम, मर्यादित का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए,

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1996); तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1997-98 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1998, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र बौद्ध, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 59 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 345-4-1-ई-आर-सी-99, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री धनेशराम राठिया, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998- 99, पटल पर रखेंगे.

(5) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खरगौन जिले के बड़वाह वन मंडल के अंतर्गत अवैधानिक रूप से रेत उत्खनन हेतु अनुमति दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर स्थित जे.सी. मिल के कर्मचारियों को बकाया देन दारियों का भुगतान व वैकल्पिक रोजगार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के वनग्राम दुधीटांगर में मृत आदिवासी परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध न कराई जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, बाबूलाल गौर, सदस्य, सतना जिले के नगर पंचायत कोटर का चुनाव न कराये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भोपाल शहर में विद्युत शुल्क के रूप में अधिक वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले के मझौली कस्बे में मृत मोटर साइकिल सवार के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, ग्वालियर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर पोलियेस्टर क्रय किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह आर्य, सदस्य, ग्वालियर नगर में एक इमारत का अवैधानिक तरीके से निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा थानान्तर्गत एक शिक्षक' पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, सिवनी जिले के कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, भोपाल के केरवा डेम स्थित कोठी में एक आरक्षक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रमाकांत तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, एडव्होकेट विद्यावती पटेल, सदस्य, रीवा कोषालय अधिकारी द्वारा देयकों के पास करने में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.